न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 565/2016

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. धारूराम पुत्र गोकलराम
जाति–जाट,निवासी–खराड़ी
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. पूनाराम पुत्र गोकलराम
2. बालूराम पुत्र पेमाराम
3. लादूराम पुत्र पेमाराम
4. कानाराम पुत्र पेमाराम
5. बिदूड़ी पत्नि लादूराम
जातियान–जाट,निवासी–खराड़ी
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
6. तहसीलदार, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 29.11.2016

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चुतराराम भाटी एवं श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्तागण, प्रति0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 19/06/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–खराड़ी, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 18–00 बीघा, खसरा नम्बर 455 रकबा 15–09 बीघा, खसरा नम्बर 1113 रकबा 32–06 बीघा, खसरा नम्बर 84 रकबा 12–15 बीघा की आई हुई हैं। जिसमें वादी का 1/2 का 1/2 यानि 1/4 हिस्सा आता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 102 रकबा 6–08 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा आता है। इसी हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के काश्त करते चले आ रहे है। तथा उसी माफिक आज दिन तक काबिज है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपद का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड मे सामलाती आराजी है। जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बटवाड़ा नही हो रखा है,मौके पर आपसी सहमति सें उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है। एवं इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रतिवादीगण व वादी ने मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाड़ा कर दिया था। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक भी शामलाति चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने उसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नही होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादी अपनी आराजी में कुआ खुदवाने, बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी को उपजाउ बनाने, उसके चारो तरफ तारबन्दी करनें,खाद–बीज मिटी डालनें में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादी को अनेको परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन परेशानीयो से बचने के लिये कानूनन बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा बाबत् यह वादपत्र पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ने मौके के अनुसार आपसी लिखित बंटवाड़ा दिनांक 18/10/2012 को 100/- रुपये के स्टाम्प पर कर लिया था एवं उसके अनुसार मौके पर आज दिन भी काबिज है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 ने वादी के हिस्से में आई आराजी में जाने के लिए रास्ता भी उस समय छोड़ने की लिखत की थी, परन्तु दिनांक 18/10/2016 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ने वादी की आराजी में जाने के रास्ते को भी बंद कर दिया एवं आपसी लिखत बंटवाड़ा से इन्कार हो गया एवं खसरा नम्बर 1113 मे न तो वादी को घुसने ही नहीं दिया तथा एलालिया धमकी दी कि आराजी का बंटवाड़ा नहीं हो रखा है इसलिए मैं काश्त नहीं करने दूंगा। जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो रखा है और जिसकी लिखत भी दोनों ने बैठकर की है परन्तु अब प्रतिवादीगण संख्या 01 की नियत में खोट आ गई एवं वह वादी की उपजाउ जमीन को हड़पने की नियज से उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं कर रहा है एवं आये दिन दखलदाजी कर रहा हैं इसलिए वादी का यह प्रतिवादीगण संख्या 01 के विरुद्ध बंटवाड़ा व स्थाई निषेघाज्ञा का पेश है। वादी का अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर कब्जा-काश्त है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 वादी को मौके से बेदखल कर वादी की बेसकीमती आराजी को हड़प करना चाहते है तथा आये दिन उसके कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है। तथा वादी की आराजी में कब्जा करने पर उतारु है। तथा प्रतिवादीगण वादी की आराजी के चारों तरफ की गई मेड़वदी को बिखेर देते है एवं वादी की आराजी में पशुओं को खुला छोड़कर फसलो को नष्ट कर रहे है एवं आये दिन दखलंदाजी व हस्तक्षेप करते रहते है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ने माह अक्टूबर में बारिश होने के बाद को उसके कब्जे काश्त की आराजी में घुसने नहीं दिया एवं दिनांक 18/10/2016 को वादी अपने हक हिस्से की आराजी में चने व तारामीरा की फसल बोने गया तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ट्रेक्टर के आडे फिर गया एवं वादी को उसके हक हिस्से की आराजी में काश्त नहीं करने दी एवं वादी को एलानिया धमकी देता है कि उसको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेगें एवं यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते हैं एवं वादी को मौके से बेदखल कर देते है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी एवं वादी अपने जायज हक व अधिकारो से महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 10/10/2016 को प्रतिवादीगण संख्या 01 नें वादी को मौके से बेदखल करने एवं अपना कब्जा जमाने की धमकी दी तब वादी नें प्रतिवादीगण कर ले, जिस तरह से पूर्व में अपना बंटवाड़ा हो रखा है उसी अनुसार तहसील कार्यालय मे चलकर ही आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाड़ा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर लेवे परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 इन्कार हो गये एवं वादी को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बदेखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेंवे। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है तो वादी को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम होना पड़ेगा एवं मौके पर लड़ाई झगड़े होगें, विवाद बढेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिगस् बढेगी। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 06

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए उनको पक्ष्कार बनाया गया है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 से 05 सह हिस्सेदार होने से बंटवाड़ा के वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनायवाद दिनांक 18/10/2016 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ईन्कार होने एवं वादी को मौके से बेदखल करने एवं वादी के हक हिस्से की आराजी में फसल बुवाई करने से मना करने की ऐलालिया धमकी देने से बमुकाम खराड़ी तहसील-जैतारण जिला-पाली राजस्थान में पैदा हुआ,जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना में पेश हुई। मजमा-ए-आम में पक्षकारों में समझाईश की गई। लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् राजीनामा पेश करने पर सहमत हो गए। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ने राजीनामा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपनी-अपनी आराजी का बंटवाडा चाहते हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रति0 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा माफिक राजीनामा प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 18-00 बीघा, खसरा नम्बर 455 रकबा 15-09 बीघा, खसरा नम्बर 1113 रकबा 32-06 बीघा, खसरा नम्बर 84 रकबा 12-15 बीघा की आई हुई हैं। जिसमें वादी का 1/2 का 1/2 यानि 1/4 हिस्सा आता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 102 रकबा 6-08 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा आता हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/989 दिनांक 28/08/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/3892 दिनांक 02/07/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगगरना में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–खराड़ी, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 18–00 बीघा, खसरा नम्बर 455 रकबा 15–09 बीघा, खसरा नम्बर 1113 रकबा 32–06 बीघा, खसरा नम्बर 84 रकबा 12–15 बीघा की आई हुई हैं। जिसमें वादी का 1/2 का 1/2 यानि 1/4 हिस्सा आता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 102 रकबा 6–08 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा आता हैं, जिसका बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खाता संख्या	वर्तमान खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रस्तावित बंटवाड़ा अनुसार खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	322	पूना धारू पिता गोकल 1/2, बालू लादू काना पिता पेमा 1/2 कौम जाट सा देह खातेदार	454 455 1113	18-00 15-09 32-06	पूनाराम पुत्र गोकलराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	454/1 1113/1 1113/2	9-00 3-15 5-00	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	
		योग	3	65-15	योग	3	17-15	बा.अ.	
					धारूराम पुत्र गोकलराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	455/1 1113 1113/3	7-14-10 3-15-00 3-13-00	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	
					योग	3	15-02-10	बा.अ.	
					बालूराम लादूराम कानाराम पुत्र पेमाराम (खेमाराम) जाति–जाट सा.देह खातेदार	454 455 1113/4	9-00-00 7-14-10 16-03-0	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	
					योग	3	32-17-10	बा.अ.	
2	393	बिदुड़ी पत्नी लादूराम 1/2 पूनाराम धारूराम पिता गोकलराम कौम जाट सा.देह खातेदार	84	12-15	बिदुड़ी पत्नी लादूराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	84	6-05-10	बा.अ.	
					पूनाराम पुत्र गोकूलराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	84/1	6-05-10	बा.अ.	
					बिदुड़ी पत्नी लादूराम, पूनाराम पुत्र गोकलराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	84/2	0-04	बा.अ.	
3	326	पूनाराम धारूराम पिता गोकलराम जाट सा.देह खातेदार	102	6-08	धारूराम पुत्र गोकलराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	102	6-08-	बा.अ.	

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–डिगरना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. धारूराम पुत्र गोकलराम
जाति-जाट,निवासी-खराड़ी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. पूनाराम पुत्र गोकलराम
2. बालूराम पुत्र पेमाराम
3. लादूराम पुत्र पेमाराम
4. कानाराम पुत्र पेमाराम
5. बिदूड़ी पत्नि लादूराम
जातियान-जाट,निवासी-खराड़ी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
6. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:565/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व रिकार्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-आ0कालू-चक-प्रथम, पटवार हल्का-आ0कालू-चक-प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 48-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा न. 2066 रकबा 24-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा 2067/5 रकबा 14-16 बीघा बारानी अव्वल, कुल रकबा 87-11 बीघा की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	खाता संख्या	वर्तमान खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रस्तावित बंट्वाड़ा अनुसार खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	322	पूना धारू पिता गोकल 1/2, बालू लादू काना पिता पेमा 1/2 कौम जाट सा देह खातेदार	454 455 1113	18-00 15-09 32-06	पूनाराम पुत्र गोकलराम जाति-जाट सा.देह खातेदार	454/1 1113/1 1113/2	9-00 3-15 5-00	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	
		योग	3	65-15	योग	3	17-15	बा.अ.	
					धारूराम पुत्र गोकलराम जाति-जाट सा.देह खातेदार	455/1 1113 1113/3	7-14-10 3-15-00 3-13-00	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	
					योग	3	15-02-10	बा.अ.	
					बालूराम लादूराम कानाराम पुत्र पेमाराम (खेमाराम)	454 455 1113/4	9-00-00 7-14-10 16-03-0	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

					जाति–जाट सा.देह खातेदार				
					योग	3	32-17-10	बा.अ.	
2	393	बिदुड़ी पत्नी लादूराम 1/2 पूनाराम धारूराम पिता गोकलराम कौम जाट सा.देह खातेदार	84	12-15	बिदुड़ी पत्नी लादूराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	84	6-05-10	बा.अ.	
					पूनाराम पुत्र गोकूलराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	84/1	6-05-10	बा.अ.	
					बिदुड़ी पत्नी लादूराम, पूनाराम पुत्र गोकलराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	84/2	0-04	बा.अ.	
3	326	पूनाराम धारूराम पिता गोकलराम जाट सा.देह खातेदार	102	6-08	धारूराम पुत्र गोकलराम जाति–जाट सा.देह खातेदार	102	6-08-	बा.अ.	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 19/06/2018 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	07-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।